संख्या:-03/2021/1509/94-1-2020-312(83)/2015

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2021

विषयः- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-05 एवं 07 के अधीन नवसृजित तहसीलों में उप रजिस्टीकरण कार्यालय के सृजन एवं कार्यालयों को संचालित करने हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1021/14151-ए/शि0का0लख0/2020, दिनांक 02 जून, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऊन जनपद शामली में उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया निम्नवत् नवसृजित तहसील ऊन जनपद शामली में उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना हेतु निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में दिनांक 28 फरवरी, 2021 तक के लिए यदि ये पद इससे पूर्व किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

क्रम सं0	नवसृजित तहसील जहॉ उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना की जानी है।	पदनाम	वेतमान	अस्थायी रूप से सृजित पदों की संख्या
1	ऊन जनपद शामली	उप निबन्धक	लेवल-10, रुपये 56100-177500	एक
		निबन्धन लिपिक	लेवल-3 रुपये 21700-69100	एक

3. इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के सुसंगत इकाई से वहन किया जायेगा।

4. नवसृजित उप निबन्धक कार्यालय, ऊन जनपद शामली की साज-सज्जा, फर्नीचर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा जनरेटर क्रय हेतु आवश्यक व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-2018/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन तथा क्रय संबंधी सुसंगत नियमों व शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-9-1253/दस-2020 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-03/2021/1509(1)/94-1-2020 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
3. संबंधित मण्डलायुक्त।
4. संबंधित जिलाधिकारी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6. संबंधित कोषाधिकारी।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
9. संबंधित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/उप महानिरीक्षक निबन्धन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।